राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2438/2011/भीलवाडा

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स प्रभू नारायण ठेकेदार, भीलवाडा। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री एम.पी.शर्मा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05/10/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाडा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 169/वेट/10–11 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाडा (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2010 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत ई.सी. को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा ठेकेदारी का कार्य किया जाता है। प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान ई.सी. से समर्थित एवं बिना ई.सी. समर्थित संविदा कार्य निष्पादित किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के आलौच्य अवधि के कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 24 के तहत पारित करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किया :–

(i) प्रत्यर्थी द्वारा निष्पादित किये गये संविदा कार्यों में मजदूरी की राशि को कम नहीं किया जाकर सम्पूर्ण संविदा राशि पर ई.सी. शुल्क का आरोपण किया गया है।

(ii) संविदा कार्यों के निष्पादन हेतु क्रय किये गये माल यथा आयरन, स्टील व सीमेंट की खरीद में लाभांश व खर्चे जोडते हुए 4/12.5 प्रतिशत की दर से वेट का आरोपण किया गया। इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार की जाती है क्योंकि उक्त माल को Landed Cost का मूल्यांकन किया जाना विधिसम्मत है।

(iii) प्रत्यर्थी द्वारा संविदा कार्यो के निष्पादन हेतु बजरी व पत्थर की खरीद वैट 39 के जरिये की गई। सशक्त अधिकारी द्वारा वैट 39 के जरिये चुकाये गये कर को अस्वीकार किया जाकर निर्धारित दर से करारोपण किया गया तथा वेट 39 से चुकाये गये कर का समायोजन नहीं दिया गया।

(iv) प्रत्यर्थी द्वारा बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया।

प्रत्यर्थी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी द्वारा मजदूरी राशि के सम्बन्ध में अस्वीकार की गई तथा कर चुके माल में वृद्धि, वेट 39 के समायोजन तथा धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति के सम्बन्ध में प्रकरण सशक्त अधिकारी को पुनः जांच किये जाने तथा प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त आदेश पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील पेश की गई है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि अपील अपीलीय अधिकारी द्वारा मजूदरी राशि के सम्बन्ध में अस्वीकार की गई तथा कर चुके माल में वृद्धि वैट–39 के समायोजन तथा धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति के सम्बन्ध में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः जांच किये जाने तथा प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त आदेश पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये गये। करमुक्ति शुल्क उदग्रहण योग्य प्राप्तियों में मजदूरी राशि शामिल है। मजूदरी राशि पर किसी प्रकार का वेट आरोपित नहीं किया जा सकता है। बिल्डिंग कार्य होने से वेट अधिनियम में 25/30 प्रतिशत मजूदरी कम करनी थी, उसके बाद ही ई.सी. फीस आरोपण योग्य था। अतः उन्होंने अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड तथा न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि

(i) संकर्म संविदा के तहत कार्य निष्पादन करने वाले ठेकेदारों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.08.2006 के द्वारा सकर्म संविदा में कार्यरत पंजीकृत व्यवहारियों को उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले संकर्म संविदा में माल सम्पत्ति हस्तान्तरण पर कर उदग्रहण करने से अधिसूचना में विहित शर्तों के आधार पर कर से मुक्ति दी गई है। व्यवहारी ठेकेदार के द्वारा कर दायित्व का भुगतान मुक्ति शुल्क के रूप में किये जाने का विकल्प किये जाने पर मुक्ति शुल्क की राशि इस हेतु घोषित ठेके की राशि पर ही अधिसूचना में विहित दर से मुक्ति शुल्क उदग्रहणीय है। व्यवहारी द्वारा विकल्प लिये जाने पर ही पश्चात उसमें शामिल मजदूरी राशि को घटाने का तर्क देना अधिसूचना के तहत अनुज्ञेय नहीं है। इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार की जाती है।

(ii) अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय में संकर्म संविदा निष्पादन में माल सम्पत्ति हस्तान्तरण पर कर निर्धारण करने के लिये "पण्यावर्त" के निश्चयन के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया बनाम भारत सरकार (1989) 73 एसटीसी 370 को Reproduce किया गया है। इसमें "पण्यावर्त" पर कर उदग्रहण का बिन्दु निर्णीत है। न्यायिक दृष्टान्त 23 टैक्स अपडेट पृष्ठ 22 का निर्णय टर्नओवर टैक्स से सम्बन्धित है। अपीलार्थीगण के प्रकरण मुक्ति शुल्क राशि के है। अतः प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथ्यात्मक भिन्नता के कारण कोई मदद प्रदान नहीं करते है।

(iii) जहां तक क्रय की गयी बजरी व पत्थर विभाग के अधिकृत ठेकेदार को कर मुक्ति शुल्क चुका कर परिवहन की जाने वाली वाहनों से की है एवं तत्पश्चात संविदा कार्यों में प्रयुक्त की गयी है परन्तु उक्त चुकाई गई राशि का समायोजन नहीं दिये जाने का प्रश्न है, विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का यह कथन विधिसम्मत एवं उचित नहीं है कि जब वह बजरी को परिवहन कर रहा था तो विभागीय ठेकेदार ने अपनी रसीद के माध्यम से कर वसूल कर लिया एवं उक्त पर पुनः संविदा में प्रयुक्त करने पर उक्त राशि समायोजन योग्य है। रिकार्ड के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय ठेकेदार से रसीद वेट 39 से प्रतिवाहन

लगातार.....3

मुक्ति शुल्क जमा करवाया है। उक्त माल अपीलार्थी व्यवहारी के विक्रेता के लिये कर मुक्त है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8(3) के तहत जारी अधिसूचना कमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–86 दिनांक 11.09.2006 के जरिये राज्य सरकार द्वारा उक्त आकस्मिक माल पर प्रति वाहन कर मुक्ति शुल्क का दायित्व निर्धारित किया गया है। इस प्रकार यह मान भी लिया जावे कि उसके खातों से मुक्ति शुल्क जमा हुआ है तो भी अपीलार्थी व्यवहारी ने केवल कर मुक्ति शुल्क तदसंबंधित संव्यवहारों पर जमा करवाया है। उक्त कर मुक्ति शुल्क अपीलार्थी व्यवहारी की देयता के विरूद्ध समायोजन योग्य नहीं है एवं न ही अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आलोक में, इस पर आगत कर का मुजरा देय नहीं है। कर बोर्ड के प्रौद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का प्रश्न है, उक्त न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य इस प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। फलस्वरूप, अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर उक्त बिन्दु पर भी अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

(vi) वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें, अतः इस सम्बन्ध में भी अपीलीय आदेशों में किसी प्रकार त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य